



विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

नियम समिति
RULES COMMITTEE

छठी विधान सभा का दूसरा प्रतिवेदन
SECOND REPORT OF THE SIXTH ASSEMBLY

31 मई, 2017 को प्रस्तुत
PRESENTED ON 31 MAY, 2017

INDEX

- | | | |
|----------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | Composition of the Committee | Page 1 |
| 2 | Preface | Page 2 |
| 3 | Report of the Committee | Page 3 |

Composition of the Committee

1	Shri Ram Niwas Goel Hon'ble Speaker	Chairman
2	Ms. Rakhi Birla Hon'ble Deputy Speaker	Member
3	Shri Anil Kumar Bajpai	Member
4	Ch. Fateh Singh	Member
5	Shri Hazari Lal Chauhan	Member
6	Shri Jagdeep Singh	Member
7	Shri Jagdish Pradhan	Member
8	Shri Raghuvinder Shokeen	Member
9	Shri Rajesh Rishi	Member

Secretariat:


1	Shri Prasanna Kumar Suryadevara	Secretary
2	Shri C. Velmurugan	Deputy Secretary

P R E F A C E

In its meeting held on 24.05.2017, the General Purposes Committee recommended that Department Related Standing Committees be constituted in the Legislative Assembly of NCT of Delhi. The Secretariat was directed to place the matter before the Rules Committee at the earliest.

The Rules Committee considered the matter in its meeting held on 26.05.2017 and approved the draft rules framed for the proposed Committees. The final Report of the Committee was considered and adopted in the meeting held on 29.05.2017. The Committee authorised Ms. Rakhi Birla or in her absence, Ch. Fateh Singh to present the Report to the House on 31.05.2017.

Delhi
29.05.2017


Ram Niwas Goel
Speaker/ Chairman

29/05/2017

R E P O R T

The General Purposes Committee in its meeting held on 24.05.2017 unanimously approved and recommended that Department Related Standing Committees be constituted in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. The General Purposes Committee also recommended that the Rules of Procedure and Conduct of Business be suitably amended to incorporate provisions for the proposed Committees.

The Rule Committee considered the proposal for amendment in the Rules of Procedure and Conduct of Business in its meetings held on 26.05.2017 and 29.05.2017. After due deliberations the Committee recommends that the following provisions be inserted in the Rules for constitution of the Department Related Standing Committees:

W Department Related Standing Committees

244 A Constitution of the Committees

(1) There shall be Department Related Standing Committees of the House to be called as Standing Committees.

(2) The Departments covered under the jurisdiction of each of the Standing Committees shall be as specified in the Sixth Schedule:

Provided that the Speaker may amend the Schedule from time to time.

(3) Each of the Standing Committees constituted under Rule 244 A shall consist of not more than nine Members to be nominated by the Speaker.

(4) A Minister shall not be nominated as a member of the Committee and if a member after nomination to the Committee is appointed a Minister, such Member shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

244 B Functions of the Committees

The functions of each of the Standing Committees shall be:-

(a) to examine and report what measures or reforms consistent with the policy approved by the Assembly might be effected;

(b) to consider the Demands for Grants of the concerned Departments and make a report on the same to the House. The report shall not suggest anything of the nature of cut motions;

(c) to examine such Bills pertaining to the concerned Departments as are referred to the Committee by the House or the Speaker and make reports thereon;

(d) to consider annual reports and policy documents of the concerned Departments and make reports thereon.

(e) to take up matters of public importance concerning the respective Departments for scrutiny, inquiry, investigation and make reports thereon.

244 C Applicability of General Rules


Except for matters for which special provision is made in the rules relating to the Standing Committees, the general rules applicable to other Committees shall apply *mutatis mutandis* to the Standing Committees."

SIXTH SCHEDULE**(See Rule 244 A)**

SL. NO.	NAME OF THE COMMITTEE	DEPARTMENTS
1	Department Related Standing Committee on Administrative Matters	<ol style="list-style-type: none">1. Administrative Reforms2. Services3. Vigilance4. Dte. Of Training (UTCS)5. Delhi Subordinate Services Selection Board6. General Administration Department7. Law, Judicial And Legislative Affairs8. Information Technology
2	Department Related Standing Committee on Education	<ol style="list-style-type: none">1. Education2. Higher Education3. Training & Technical Education4. Art, Culture and Language5. Sports
3	Department Related Standing Committee on Welfare	<ol style="list-style-type: none">1. Social Welfare2. Woman and Child Development3. Labour4. Food And Supplies5. Employment6. Home
4	Department Related Standing Committee on Health	<ol style="list-style-type: none">1. Medical and Public Health2. Family Welfare3. Directorate Of Health Services4. Food Safety
5	Department Related Standing Committee on Development	<ol style="list-style-type: none">1. Development2. Rural Development3. Urban Development4. Agricultural Marketing5. Revenue6. Land and Building7. Industries

SL. NO.	NAME OF THE COMMITTEE	DEPARTMENTS
6	Department Related Standing Committee on Public Utilities and Civic Amenities	1. Public Works Department 2. Power 3. Delhi Jal Board 4. Irrigation and Flood Control
7	Department Related Standing Committee on Finance and Transport	1. Finance 2. Trade And Taxes 3. Excise & Luxury Taxes 4. Planning 5. Transport 6. Tourism 7. Departments not allotted to other Committees

Delhi
29.05.2017


Ram Niwas Goel
Speaker/ Chairman
 29/05/17



**विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**

**नियम समिति
छठी विधान सभा का दूसरा प्रतिवेदन**

31 मई, 2017 को प्रस्तुत

विषय सूची

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. समिति का गठन | पृष्ठ-1 |
| 2. प्रस्तावना | पृष्ठ-2 |
| 3. समिति का प्रतिवेदन | पृष्ठ-3 |

समिति का संयोजन

- | | |
|--|--------|
| 1. श्री रामनिवास गोयल
माननीय अध्यक्ष | सभापति |
| 2. सुश्री राखी बिड़ला
माननीय उपाध्यक्षा | सदस्य |
| 3. श्री अनिल कुमार बाजपेयी | सदस्य |
| 4. चौ. फतेह सिंह | सदस्य |
| 5. श्री हजारी लाल चौहान | सदस्य |
| 6. श्री जगदीप सिंह | सदस्य |
| 7. श्री जगदीश प्रधान | सदस्य |
| 8. श्री रघुविंद्र शौकीन | सदस्य |
| 9. श्री राजेश ऋषि | सदस्य |

सचिवालय :


- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा | सचिव |
| 2. श्री सी.वेलमुरुगन | उप-सचिव |

प्रस्तावना

सामान्य प्रयोजन समिति ने 24.05.2017 को हुई अपनी बैठक में यह अनुशंसा की कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में विभागों से सम्बद्ध समितियों का गठन किया जाये। सचिवालय को निर्देश दिया गया कि मामले को यथाशीघ्र नियम समिति के समक्ष रखा जाये।

नियम समिति ने 26.05.2017 और 29.05.2017 की अपनी बैठकों में मामले पर विचार किया और प्रस्तावित समितियों के नियमों के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। समिति की अन्तिम रिपोर्ट पर 29.05.2017 की बैठक में विचार किया गया और स्वीकार किया गया। समिति ने सुश्री राखी बिड़ला को, या उनकी अनुपस्थिति में, चौ. फतेह सिंह को 31.05.2017 को सदन में समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

दिल्ली
29.05.2017


राम निवास गोयल
अध्यक्ष/सभापति
29/05/17

प्रतिवेदन

सामान्य प्रयोजन समिति ने 24.05.2017 को हुई अपनी बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदन किया और अनुशंसा की कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में विभागों से सम्बद्ध समितियों का गठन किया जाये। सामान्य प्रयोजन समिति ने यह भी अनुशंसा की कि प्रस्तावित समितियों के लिए प्रावधानों को जोड़ने हेतु प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में यथोचित संशोधन किया जाए।

नियम समिति ने प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर अपनी 26.05.2017 और 29.05.2017 को हुई बैठकों में विचार किया। यथोचित विचार-विमर्श के उपरान्त समिति ने सिफारिश की कि इन प्रावधानों को विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के गठन हेतु नियमों में जोड़ा जाये।

विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां

244क समितियों का गठन

- (1) सदन की विभागों से संबद्ध समितियां होंगी जिन्हें स्थायी समिति कहा जायेगा।
- (2) प्रत्येक समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विभाग छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

परन्तु अध्यक्ष समय समय पर अनुसूचि में संशोधन कर सकते हैं।

- (3) नियम 244 अ के अंतर्गत गठित प्रत्येक स्थायी समिति में 9 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो कि अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जायेंगे।

- (4) मंत्री समिति के सदस्य मनोनीत नहीं होंगे और यदि कोई सदस्य समिति का सदस्य मनोनीत होने के पश्चात् मंत्री नियुक्त होता है तो ऐसे सदस्य ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

244 ख समितियों के कार्य

प्रत्येक स्थायी समिति के कार्य होंगे:-

- (क) सभा द्वारा स्वीकृत नीतियों से संगत क्या सुधार या उपाय किये जा सकते हैं, की जाँच करना व प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(ख) संबंधित विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करना और सभा को इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। प्रतिवेदन में कटौती प्रस्ताव जैसे सुझाव नहीं होंगे।

(ग) संबंधित विभागों के ऐसे अधिनियमों की जाँच करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गए हों।

(घ) संबंधित विभागों के नीतिगत दस्तावेजों और वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(ङ) उन विभागों से संबंधित लोक महत्व के मामलों को सूक्ष्म परीक्षण, पूछताछ, जाँच पड़ताल के लिए लेना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

244 ग सामान्य नियमों की उपयुक्तता

उन मामलों के सिवाय जिनके लिए स्थायी समितियों से संबंधित नियमों में विशेष प्रावधान किया गया है, अन्य समितियों पर लागू होने वाले आम नियम यथोचित परिवर्तन करके स्थायी समितियों पर लागू होंगे।

छठी अनुसूची

(नियम 244 ए देखें)

विभागों से सम्बद्ध प्रस्तावित स्थायी समितियां

क्र. सं०	समिति का नाम	विभाग
1.	प्रशासनिक मामलों पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति	1. प्रशासनिक सुधार 2. सेवाएं 3. सतर्कता 4. प्रशिक्षण निदेशालय(यूटीसीएस) 5. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 6. सामान्य प्रशासनिक विभाग 7. विधि, न्याय एवं विधायी कार्य 8. सूचना एवं तकनीकी
2.	शिक्षा पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति	1. शिक्षा 2. उच्च शिक्षा 3. प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा 4. कला, संस्कृति एवं भाषा 5. खेल
3.	कल्याण पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति	1. समाज कल्याण 2. श्रम 3. खाद्य आपूर्ति

		4. रोजगार 5. गृह
4.	स्वास्थ्य पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति	1. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य 2. परिवार कल्याण 3. चिकित्सा सेवाएं निदेशालय 4. खाद्य सुरक्षा
5.	विकास पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति	1. विकास 2. ग्रामीण विकास 3. शहरी विकास 4. कृषि विपणन 5. राजस्व 6. भूमि एवं भवन 7. उद्योग
6.	जनोपयोगी सेवाओं और नागरिक सुविधाओं पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति	1. लोक निर्माण 2. ऊर्जा 3. दिल्ली जल बोर्ड 4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
7.	वित्त, परिवहन एवं पर्यटन पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति	1. वित्त 2. व्यापार एवं कर 3. आबकारी एवं विलासिता कर 4. योजना 5. परिवहन 6. पर्यटन 7. विभाग जो स्पष्टतः किसी समिति को आंबटित नहीं किए गए हैं

दिल्ली

29.05.2017

12
राम निवास गोयल
अध्यक्ष/सभापति
29/05/17